उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd.

(U.P. GOVT UNDERTAKING)
ISO 9001 : 2008 (QMS) and ISO 14001 : 2004 (EMS) CERTIFIED

EPBX 2720671, 2720665, 2720670
Fax-0522-2720846

Website : http://www.uprnn.co.in

पंजीकृत कार्यालय :
विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226 010

Registered Office :
Vishweshwaraiya Bhawan, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010

संख्या 1556../कैम्प/प्र०नि०/जा०एफ०/रा०नि०नि०/2017

दिनांक 06/04/2017

समस्त अंचलीय महाप्रबन्धक
उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0
....

अतिमहत्वपूर्ण

विषयः—पी0आर0डब्लू0 / उप—ठेकेदार / ठेकेदार अथवा फर्म से फारखती प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय ज्ञाप संख्या—3551 / ए0सी0 / 99 / 0001 / 94 दिनांक 8.12.14 एवं सं0—683 दि04.3.15 द्वारा आदेशित किया गया है कि विभिन्न इकाईयों / कार्यों पर कार्यरत पी0आर0 डब्लू0 / उप—ठेकेदार / ठेकेदार अथवा फर्म द्वारा कार्य के उपरान्त भुगतान करते समय फारखती (No claim Certificate) अवश्य हस्ताक्षरित कराया जाये एवं इकाई प्रभारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर इकाई के रिकार्ड में रखा जाये। फारखती (No claim Certificate) प्राप्त प्राप्त किये बिना किये गये भुगतान के सम्बन्ध में भविष्य में पी0आर0डब्लू0 / उप—ठेकेदार / ठेकेदार अथवा फर्म द्वारा भविष्य में पुनः भुगतान / अतिरिक्त भुगतान की माँग की जाती है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित लेखा प्रभारी एवं इकाई प्रभारी का होगा। पुनः पत्रांक—81 / एसी / 99 / 0001 / टी0सी0 / 15 दिनांक 21.8.2015 द्वारा अनुस्मारक भी निर्गत किया गया है।

इसी प्रकार निदेशक मण्डल की बैठक 170वीं बैठक दि0 26.9.14 के कार्यवृत्त विषयवस्तु संख्या—16 द्वारा निर्देशों के अनुपालन में आदेशित किया गया था कि पी0आर0डब्लू0 को द्वितीय वर्क आर्डर तब ही जारी किया जाए जब पूर्व में जारी वर्क आर्डर का कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित किया गया हो।

परन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उपरोक्त आदेशों का समस्त इकाईयों पर पूर्णतया पालन नहीं हो रहा है एवं ऐसे प्रकरण अभी भी प्रकाश में आ रहे हैं, जिसमें पी0आर0डब्लू0 / उप—ठेकेदार / ठेकेदार अथवा फर्म का भुगतान होने बाद भविष्य में पुनः भुगतान / अतिरिक्त भुगतान की माँग की जाती है, एवं सम्बन्धित अभियन्ता / इकाई के विरूद्ध अनावश्यक शिकायत की स्थिति हो रही है।

उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या—3551 / ए0सी0 / 99 / 0001 / 94 दिनांक 8.12.2014 एवं संख्या—683 दिनांक 4.3.2015 एवं अनुस्मारक दि0 21.8.2015 तथा फारखती के प्रारूप की प्रति पुनः संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये एवं किसी भी रूप में शिथिलता न बरती जाये। यदि उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना पाई जाती है तो इसे गम्भीरता से लिया जाएगा।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

(आर0के0गोयल)
06/4/17
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. वित्तीय परामर्शदाता, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
2. अति0महाप्रबन्धक(वाणिज्य) / महाप्रबन्धक(यॉ), उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक